रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 1972/पौष 14, 1893

**No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1972/PAUSA 14, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

### (Department of Industrial Development)

### ORDER

*New Delhi, the 4th January 1972*

**S.O. 5(E)/15/IDR/A/71.**—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Laxminarayan Cotton Mills Ltd., Rishra (West Bengal), for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

*Chairman*

1. Dr. N. N. Banerjee, Principal, College of Textile Technology, Serampore, Hooghly, West Bengal.

*Members*

2. Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.
3. Dr. U. Bhattacharya, Technical Adviser, National Textile Corporation Ltd.
4. Shri V. Rama Rao, Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, 27, Brabourne Road, Calcutta-1.

*Member-Secretary*

5. Shri B. D. Mukherjee, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. (38)Lic. Pol/71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

## औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी 1971

का० आ० 5(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स लि० रिश्रा (पश्चिम बंगाल) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है जिसके लिये वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है :—

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

1. डा० एन० एन० बनर्जी, . . . . अध्यक्ष
   प्रधानाचार्य वस्त्र प्रौद्योगिकी कालिज
   सेरामपुर, हुगली, पश्चिम बंगाल ।
2. श्री एफ० सी० धान निदेशक (वित्त) . . सदस्य
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ।
3. डा० यू० भट्टाचार्य, तकनीकी सलाहकार . . सदस्य
   राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ।
4. श्री वी० रामराव, निरीक्षण अधिकारी . . सदस्य
   क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
   समवाय विधि बोर्ड, 27, ब्रेबोर्न रोड,
   कलकत्ता—1
5. श्री बी० डी० मुखर्जी, . . . . सदस्य-सचिव
   उप-निदेशक,
   वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई—20

[सं० फा० 9(38)/लाई-पौल/71]

सु० कु० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972